

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के श्रीमती सावित्री देवी पिता श्री नारायण भगत और श्रीमती जगेश्वरी ताना भगत पिता श्री नारायण भगत निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम, थाना सं : 62 (रैयाती) खाता सं. 66 के अधीन प्लॉट सं:- 763/2913, खाता सं. 383 के अधीन प्लॉट सं:- 2333, 2373, 2381, 2409, 2453, 2461, 2480, 2538, 2539, 2541, 2586, 2594, 2312/2922 & 2537/2923, खाता सं. 379 के अधीन प्लॉट सं:- 2338, 2356, 2378, 2397, 2402, 2424, 2425, 2449, 2532, 2556, 2571 & 2588, खाता सं. 374 के अधीन प्लॉट सं:- 2379, 2546 & 2548, कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम, थाना सं : 62 (रैयाती) खाता सं. 66 के अधीन प्लॉट सं:- 763/2913, खाता सं. 383 के अधीन प्लॉट सं:- 2333, 2373, 2381, 2409, 2453, 2461, 2480, 2538, 2539, 2541, 2586, 2594, 2312/2922 & 2537/2923, खाता सं. 379 के अधीन प्लॉट सं:- 2338, 2356, 2378, 2397, 2402, 2424, 2425, 2449, 2532, 2556, 2571 & 2588, खाता सं. 374 के अधीन प्लॉट सं:- 2379, 2546 & 2548, कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के श्रीमती सावित्री देवी पिता श्री नारायण भगत और श्रीमती जगेश्वरी ताना भगत पिता श्री नारायण भगत निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।